

पत्रक
(नियम 13)

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

गोपीकिशन दत्तक पुत्र रुड़ादास पिता व बिदामी माता जाति स्वामी निवासी नोहरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।	-बनाम-	तहसीलदार नवलगढ़
---	--------	-----------------

किस्म मुकदमा - ईजराय	मु.नं. 12/2021 RCMS No
----------------------	---------------------------

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------------

29.9.21 आज यह ईजराय प्रस्तुत हुई। ईजराय में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ईजराय दर्ज दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार नवलगढ़ को मुकदमा नम्बर 175/2020 का फैसला डिक्री दिनांक 06.08.2021 की प्रमाणित प्रति भेजकर डिक्री की क्रियान्विति नियमानुसार कर पालना रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 से पूर्व भिजवाई जाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बईन्तजार रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

26/11/21 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
गत आदेशानुसार पत्रावली उक्त दिनांक
को पेश हो।
25/02/22
अधीनकारी
नवलगढ़

25/11/21 पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा
कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 25/11/21 को पेश हो।
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

14/12/21 पत्रावली आज तहसीलदार नवलगढ़ से पालना
रिपोर्ट गृह होने पर तबका भी गई। तहसीलदार
नवलगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय की
पालना नामा संख्या 106 दिनांक 30/11/21 के द्वारा
दोहर रख रख रिपोर्ट में अग्रिम दर्शाया हो चुका है।
पत्रावली में अब मात्र करीब वर्षाधी होपड़ित
की होत से उठना डली स्तर पर खालि किया
जाता है। पत्रावली कुलप सुभार दोहर दर्ज नन्तर
पुनः दोहरा वाद तहसील जाजा दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़

